संख्या–474/XIV-1/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां
उत्तरांचल,अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून: दिनांक: 14 अक्टूबर,2005

विषय:– **सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को ट्रैक्टर क्रय हेतु राजकीय अनुदान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल राज्य में सहकारिता अन्दोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को कृषि कार्यों के उपयोगार्थ ट्रैक्टर क्रय के लिए, सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले ट्रैक्टर क्रय ऋण 5.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त ट्रैक्टर क्रय हेतु लिए जाने वाले ऋण पर सहकारिता सहभागिता योजना विषयक शासनादेश संख्या 233/2005/XIV-1/2005, दिनांक 28 अप्रैल,2005 में वर्णित विशिष्टतायें एवं शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी:–

(1) ट्रैक्टर क्रय हेतु अधिकतम रू0 500000.00 (पांच लाख रूपये) अथवा कुल लागत का 85 प्रतिशत जो भी कम हो, की सीमा तक ऋण जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) लाभार्थी को 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ट्रैक्टर क्रय हेतु ऋण दिया जायेगा, शेष ब्याज की धनराशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। ब्याज राहत (शेष ब्याज की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी) बकायेदार सदस्य को अनुमन्य नहीं होगी।

(3) यह ऋण दीर्घकालीन ऋण होगा जिसकी अवधि अधिकतम 10 वर्ष की होगी। ऋण की वसूली ऋण देने की तिथि से ब्याज सहित तीन माह पश्चात 10 वर्षों में 120 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

(4) ऋण मात्र अऋणी सदस्य को ही दिया जायेगा अर्थात बकायादार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।

(5) ऋण 3 एकड़ से अधिक भूमिधरी कृषकों को दिया जायेगा। 3 एकड़ से कम भूमिधर वाले कृषकों को यथोचित कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक के पक्ष में बन्धक कर ऋण दिया जायेगा।

(6) ऋण की सम्पूर्ण अदायगी तक क्रय की गयी ट्रैक्टर, ट्राली प्रतिभूति के रूप में बैंक के पक्ष में बंधक रहेगी।

(7) लाभार्थी/ऋणियों की भार रहित भूमि जिसका मूल्य ऋण की राशि से कम से कम डेढ़ गुना अधिक हो प्रतिभूति के रूप में बैंक के पक्ष मे बंधक की जायेगी, जिसका व्यय भार ऋणी सदस्य द्वारा वहन किया जायेगा।

(9) लाभार्थी/ऋणीयों के दो ऐसे स्थानीय जमानती होगें जिनके पास कम से कम ऋण की धनराशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति हो तथा वे बकायादार न हो।

(10) ऋणी सदस्य से इस आशय का एफिडेविट लिया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किए गये ट्रैक्टर, ट्राली का उपयोग कृषि कार्यो के लिए किया जायेगा तथा वह ऋण की सम्पूर्ण अदायगी तक बिना बैंक की अनुमति के ट्रैक्टर, ट्राली का विक्रय नहीं करेगें।

(11) भूमि/सम्पत्ति को बन्धक रखने एवं एफिडेविट आदि बनाने का व्यय भार लाभार्थी /ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।

3. यह योजना चालू वित्तीय वर्ष (2005-06) में जारी ऋणों तक ही सीमित रखी जायेगी।

4. सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक शीर्ष सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण के अनुरूप वित्तीय राजकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल को प्रस्तुत करने के उपरान्त निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल की संस्तुतियों के उपरान्त शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोंपरान्त राजकीय अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-713/वित्त अनुभाग-2/2005, दिनांक 07.10.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्याः- 4740 XIV-1/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांयूं मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. अपर सचिव, मुख्यमंत्री उत्तरांचल।

4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।
5. उप निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तरांचल।
9. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
10. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. वित्त/नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(एन0एस0डुगरियाल)
अनुसचिव।